न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री विजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
55/2023	111, 128 LRA	04.10.2023	28.05.2025

1. दानपूरी पुत्र चेतनपूरी जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
2. महेन्द्र कुमार पुत्र चेतनपूरी जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
3. सोहनपूरी पुत्र चेतनपूरी जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

1. हनुमान पूरी पुत्र भोमपूरी जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
2. मनीराम पुत्र चुनाराम जाति स्वामी निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
3. श्रीमती शकुन्तला धर्मपत्नी जगदीश प्रसाद निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
4. कान सिंह पुत्र रेवंत सिंह जाति जाट निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
5. रणवीर पुत्र रेवंत सिंह जाति जाट निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
6. रामजीलाल पुत्र रेवंत सिंह जाति जाट निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
7. अजित कुमार पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
8. श्रीमती इमरती देवी धर्मपत्नी सहीराम जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
9. ओमप्रकाश पुत्र प्रताप जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
10. गोपीराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
11. चुकेश कुमारी पुत्री महावीर जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
12. दयाराम पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
13. प्रेमकुमारी पुत्री प्रताप जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
14. बलबीर पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
15. भोपालाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
16. मगाराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
17. मदनलाल पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
18. रामकुबार पुत्र कुरड़ाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
19. विद्या कुमारी पुत्री महावीर जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
20. विनोद देवी पुत्री महावीर जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
21. सुनीता पुत्री महावीर जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
22. सुमन कुमारी पुत्री महावीर जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
23. हरिराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
24. तहसीलदार चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

–अप्रार्थीगण–

Alx

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री राहुल सोनी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री शिवसिंह राठौड़ अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकार राज

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1. यह कि खेत खसरा सं. 262 रकबा 3.2248 हैक्टेयर भूमि रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं पटवार हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं भू.अ.नि. क्षेत्र खींवासर तहसील व जिला चूरू में प्रार्थीगण के ख़ातेदारी वा कब्जा काश्त है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2070 से 2073 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना–पत्र हाजा के साथ पेश है।
2. यह कि प्रार्थीगण के खेतों के चिपते ही उतर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम भुजाओं की तरफ कृषि भूमियां नीचे लिखे अनुसार हैं– कृषि भूमि ख. न. 754/245 हैं को अप्रार्थी सं 04 से 06 काश्त करते है तथा उनकी सहखातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है इसी प्रकार कृषि भूमि खेत खसरा सं. 246 रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं चूरू को अप्रार्थी सं. 7 से 23 काश्त करते है एवं कृषि भूमि खेत खसरा सं. 696/522 रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं चूरू को अप्रार्थीनी सं. 03 काश्त करती है तथा अप्रार्थी सं. 03 की एकल खातेदारी वा काब्जा काश्त की भूमि है, इसी प्रकार कृषि भूमि खेत खसरा सं. 265 रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं चूरू को अप्रार्थी सं. 02 काश्त करता है तथा अप्रार्थी सं. 02 की एकल खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है एवं कृषि भूमि खेत खसरा सं. 264 रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं चूरू को अप्रार्थी सं. 01 काश्त करता है तथा अप्रार्थी सं. 01 की एकल खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है – प्रार्थीगण के खेत की सींव अंकन स्पष्ट नहीं है जिससे प्रार्थीगण वा अप्रार्थीगण (1 से 23) के बीच सीमा को लेकर तनाजा रहता है जिससे अप्रार्थीगण काश्त के समय सींव को काटकर अपने खेत की सीमा को बढ़ा लेते है जिससे अप्रार्थीगण काश्त के मौसम में नाहक ही मुझ प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण तनाजा वा झगड़ा फसाद करते रहते है प्रार्थी को यह विश्वास है कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 23 द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि को दबाया जकार प्रार्थी की भूमि में प्रवेश किया हुआ हैं– प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार सीमाकंन करने हेतु व प्रार्थी की भूमिकी सीमा से लगते निशानदेही करने हेतु निवेदन किया गया एवं प्रार्थी द्वारा कोशिश किये जाने पर अप्रार्थीगण झगडालू स्वभाव होने से उन्होंने उक्त निशानदेही करने एवं माननें से इंकार हो गये इस प्रकार से प्रार्थी एवं उसके सीमावर्ती खेतों के मध्य पुख्ता सींव नहीं होने से सीमा को लेकर झगड़ा फसाद एवं तनाव रहता [illegible] प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि अपने खातेदारी वा कब्जा काश्त की [illegible] पुख्ता सीमाकन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवायी जावें जिसके [illegible] जा रहा है।
3. यह कि प्रार्थीगण एवं उनके सीमावर्ती उपरोक्त खेतों की सीमाएं मौके पर स्पष्ट अंकन नहीं होने से अप्रार्थीगण का प्रार्थी से काश्त के समय मनमुटाव सीमा का लेकर बना रहता है

AU/

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है जो विधिवत रूप से अपनी एकल खातेदारी की कृषि भूमि का नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाकर सीमाकंन करवाना चाहता है ताकि भविष्य में उक्त खेतों के पड़ौसियों के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त आश्य का प्रार्थना–पत्र अदालतवाला में प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. यह कि अप्रार्थी सं. 1 से 23 प्रार्थी के खेतों के सीमा पड़ोसी है और भविष्य में सीमा को लेकर कोई विवाद ना रहे इसलिए इन सभी अप्रार्थीगण को इस प्रार्थना–पत्र में पक्षकार बनाया गया है।
5. यह कि पत्थरगढ़ी व निशानदेही में लगने वाला खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है तथा अदालतवाला को इस प्रार्थना–पत्र के सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। पत्थरगढ़ी तहसीलदार चूरू के माध्यम से अनुभवी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित की जाकर करवाई जानी आवश्यक है– यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त खेत खसरों की नपती बाबत् प्रार्थना–पत्र देने पर प्राप्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी इस प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न हैं – अप्रार्थी सं. 24 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं– तहसीलदार उक्त कृषि भूमि के भूस्वामी हैं एवं पत्थरगढ़ी इन्ही के मार्फत की जानी हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थी की कृषि भूमि खेत खसरा सं. 262 रकबा 3.2248 हैक्टेयर भूमि रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं पटवार हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू की अप्रार्थी सं. 24 से टीम गठित करवाई जाकर नपती करवाई जाकर इस खेत में पुख्ता पत्थरगढ़ी व सीमांकन करवाया जावे।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता शिवसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है–

1. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 के कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार किये जाते है जिन्हें प्रार्थी स्वयम सक्षम साक्ष्य से साबित करें।
2. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं शेष कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार किये जाते है शेष कथनों का खुलासा विशेष कथनों से किया जावेगा।
3. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 के कथन प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र को रंगत देने की गरज से गलत लिखे होने के कारण से अस्वीकार किये जाते हैं।
4. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 के कथन प्रार्थी द्वारा गलत लिखे होने से अस्वीकार किये जाते है अप्रार्थी संख्या 01 के साथ प्रार्थी को कभी कोई झगड़ा नहीं रहा है ना ही ऐसी कोई संभावना है अप्रार्थी संख्या 01 के खेत के पुख्ता अलामात एवं सीमाओं का स्पष्ट अंकन मौजूद है तथा सीमाओं [illegible] है जिससे सीमाओं का अतिक्रमण किये जाने की कोई संभावना नहीं है[illegible]
5. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद [illegible] होने के कारण से अस्वीकार किये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

44

6. यह कि अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि भूमि खसरा संख्या 264, 293 कुल किता 2 कुल तादादी 3.0730 हैक्टेयर रोही मोजा जोड़ी पट्टा सात्यूं भू.अ.नि. क्षेत्र खींवासर तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही हैं जिसका अप्रार्थी संख्या 01 एक मात्र खातेदार काश्तकार है अप्रार्थी संख्या 01 उक्त कृषि भूमि की सीमाओं के पुख्ता सीमाचिन्ह मौजूद है तथा अप्रार्थी संख्या 01 व प्रार्थी के बीच सीमाचिन्हों को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की मौजूदगी में कभी भी हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के खेत की नपती नहीं करवाई गई एवं ही प्रार्थी को कभी ऐसा करवाने हेतु कहा एवं कहलवाया गया वास्तविकता यह है कि प्रार्थी जो स्वयम् झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है जो आये दिन पड़ौसियों के खेतों के सीमाचिन्ह नष्ट करने व अतिक्रमण कर अपने सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 जो शालिन सभ्य व्यक्ति है जो झगड़ा फसाद से हमेशा दूर रहता है को प्रार्थी के खेत की विशेषज्ञ पटवारी एवं सेटलमेंट के कर्मचारियों से नपति की जाती है तो सर्वप्रथम अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा 264, 293 कुल किता 2 कुल तादादी 3.0730 हैक्टेयर रोही मौजा जोड़ी पट्टा सात्यूं भू.अ.नि. क्षेत्र खींवासर तहसील व ज़िला चूरू की नपति की जाकर उसे रिकॉर्ड के मुताबिक पूरा किया जाकर प्रार्थी के खेत का पुख्ता सीमाज्ञान किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 को कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 02 ता 06 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 07 ता 23 की ओर से अधिवक्ता शिवसिंह ने उपस्थिति दी परन्तु इनकी ओर से न तो कोई वकालतनामा पेश किया गया ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण खसरा नं. 262 रकबा 3.2248 हैक्टेयर भूमि रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं पटवार हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं भू.अ.नि. क्षेत्र खींवासर तहसील व जिला चूरू का खातेदार काश्तकार है। दिनांक 29.06.2023 पटवारी जोड़ी पट्टा सात्यूं रिपोर्ट के अनुसार वादगत कृषि भूमि खेत खसरा 262 रोही ग्राम जोड़ी पट्टा सात्यूं का सीमांकन करवाया गया है।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस पर मनन से प्रस्तुत वाद प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने निवेदन किया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा सं. 262, रकबा 3.2248 हैक्टेयर, जोड़ी पट्टा सात्यूं, चूरू में स्थित है, जिसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं एवं सीमावर्ती अप्रार्थीगण भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं, जिससे काश्त के समय विवाद एवं झगड़ा उत्पन्न होता है। अतः प्रार्थीगण ने पत्थरगढी एवं सीमांकन कराए जाने की मांग की। अप्रार्थी संख्या 01 (हनुमानपूरी) द्वारा व[illegible]म से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने अपने खेत की सीमाओं की स्पष्ट[illegible] विवाद से इनकार किया, किन्तु यदि सीमांकन होता है तो उसे आपत्ति [illegible] की जाए। अप्रार्थी संख्या 02 से 06 की ओर से उपस्थिति [illegible] कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 07 से 23 की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, अतः इ[illegible] विरुद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

गई। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी (स. 2070–2073 व 2074 वि. = वर्ष 2017) तथा पटवारी हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं की रिपोर्ट दिनांक 29.06.2023 से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 262 की वैध खातेदार काश्तकार हैं। पटवारी रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि की सीमांकन की आवश्यकता बताई गई है। वादकर्ता शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से सीमांकन व पत्थरगढी कराना चाहते हैं। वादकर्ताओं नें यह भी स्पष्ट किया है कि सीमांकन में लगने वाला समस्त व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। प्रार्थना–पत्र के साथ संबंधित खेतों की जमाबंदी प्रतियाँ एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट भी संलग्न की गई है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111,128 में यह प्रावधान है कि जब खातेदार के खेत की सीमा विवादित हो या सीमा स्पष्ट न हो तो सीमांकन करवाने का अधिकार उसे प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में वादकर्ता की भूमि एवं सीमावर्ती भूमि के मध्य सीमा स्पष्ट नहीं है, जिससे समय–समय पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि वादकर्ता की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाई जाए। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से किसी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

संपूर्ण पत्रावली, दस्तावेज, बहस एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.स. 262 रकबा 3.2248 हैक्टेयर, ग्राम रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं पटवार मण्डल जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू की सीमांकन दिनांक 29.06.2023 के अनुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जाए। इस हेतु राजस्व की एक टीम गठित की जाए, जिसमें संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार सम्मिलित हों, जो मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में नियमानुसार रिपोर्ट पटवारी थैलासर की सीमांकन दिनांक 29.06.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी करें। अप्रार्थी संख्या 01 यदि अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है तो वह अलग से सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें। कार्यवाही से पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना दी जाए ताकि वे सीमांकन के समय उपस्थित रह सकें। सीमांकन एवं पत्थरगढी की समस्त कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करें। सीमांकन एवं पत्थरगढी में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे। अप्रार्थी संख्या 24 (तहसीलदार) को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते हैं कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू